

## मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-II, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्रमांक 16448 / विश्व बैंक / MPRCP/म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा./16 भोपाल दिनांक 23/07/2016  
प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,

परियोजना क्रियान्वयन इकाई -


..... (म.प्र.)

**विषय: विश्व बैंक की सहायता से सी.एम.जी.एस.वाय., एम.पी.आर.सी.पी. के डी.पी.आर. के संबंध में।**

विश्व बैंक के प्रतिनिधि ने प्रदेश के अशोकनगर, गुना, देवास एवं उज्जैन जिलों के कुछ डीपीआर का स्थल पर भौतिक परीक्षण किया है। इस संबंध में प्राधिकरण के प्रमुख अभियंता एवं अन्य अधिकारियों के साथ हुई चर्चा अनुसार पूर्व में जारी विश्व बैंक परियोजना की डीपीआर के निर्देशों में निम्नलिखित संशोधन किया जावे :-

1. Road inventory and Transect walk का विवरण आपस में मैच करता होना चाहिए।
2. मुख्य मार्ग से जंक्शन स्थल, पुलियाओं की एप्रोचेस एवं मोड़ों पर रोड मार्किंग का प्रावधान IRC: 35 के अनुसार किया जाए। जंक्शन स्थल उचित तरीके से विकसित किया जाना है।
3. Hume Pipe culvert के स्थल पर 3 मीटर लम्बाई में एवं ~~RTL~~ से 0.6 मीटर ऊंची Parapet wall का निर्माण किये जाने का प्रावधान किया जाये। ~~RTL~~ <sup>RTL</sup> ~~मोड़ों~~ <sup>VSW</sup> एवं अन्य आवश्यक स्थल पर, जहां RTL 1.5 मीटर से ज्यादा ऊंचा है, वहां गार्ड स्टोन का प्रावधान किया जाये।
4. मार्ग के बाजू से मार्ग तक आने के लिए प्रस्तावित Ramps में 15 सेंटीमीटर 12 सीबीआर के मटेरियल से सरफेस कोर्स बनाये।
5. ग्राम के प्रथम मुख्य शासकीय भवन यथा पंचायत भवन, आंगनवाडी, स्वास्थ्य केन्द्र एवं शाला भवन तक मार्ग निर्माण प्रस्तावित किया जाये।
6. नवीन प्रस्तावित पुलिया अथवा पूर्व से निर्मित पुलियाओं में आवश्यकतानुसार बोल्टर एप्रेन अथवा रिजीड एप्रेन का प्रावधान (SP 20 & IRC 13) के अनुसार किया जावे।
7. सभी पुरानी पुलियाओं के Rehabilitation प्रस्तावों के साथ Hydraulic design आवश्यक रूप से संलग्न किया जाकर आवश्यक प्रावधान करें।
8. किसी मार्ग पर 10 मीटर से ज्यादा Water way वाले स्थल पर यदि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत पुल-पुलिया स्वीकृत नहीं हुई है तो ऐसे स्थल पर पुल-पुलियाओं का प्रावधान भी सम्मिलित किया जाये।

9. यदि किसी मार्ग पर जीएसबी / ग्रेवल की मोटाई 18 से.मी. से कम पाई जाकर Ruts भी है तो ऐसी स्थिति में केम्बर सुपर एलीवेशन आदि बनाये जाने हेतु Crushed Stone GSB से प्रोफाईल करैक्शन का प्रावधान किया जाये ताकि न्यूनतम मोटाई 12.5 से.मी. सुनिश्चित हो सके। जहां पर जीएसबी संतोषजनक मोटाई में उपलब्ध है वहां उसे स्केरीफाई कर केम्बर सुपर एलीवेशन कर बनाते हुए कॉम्पेक किया जाये। इस हेतु एसओआर आयटम शीघ्र ही प्रेषित किया जा रहा है।
10. आबादी क्षेत्र में प्रास्तावित अथवा निर्मित सी.सी. पेवमेंट के किनारे स्थल की आवश्यकता का प्रावधान करावे। long 'L' Drain प्रावधान या हाफ राऊंड ड्रेन का किया जाये, इस टाईप के Drain के विवरण मुख्यालय के पत्र क्रमांक 16835/ 22/वि-12/ 554/सरकुलर/2015 दिनांक 28/08/2015 द्वारा जारी किये गये हैं।
11. डीपीआर में फॉर्मेट - 9.1 (A) में सभी प्रकार के यूटिलिटी एवं इलेक्ट्रीकल क्रॉसिंग का उल्लेख किया जाये।



प्रमुख अभियंता एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर  
(एम.पी.आर.सी.पी.) मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क  
विकास प्राधिकरण, भोपाल

पृ.क्रमांक 16448/विश्व बैंक /MPRCPमि.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा./16 भोपाल दिनांक /07/2016  
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख अभियंता, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य महाप्रबंधक (समस्त, ..... ) मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अधीक्षण यंत्री (तक) ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक, तकनीकी समस्त मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रबंधक, आईटी, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पत्र को एमपीआरआरडीए की वेबसाई के World Bank & Circular Section में डालने हेतु।



प्रमुख अभियंता एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर  
(एम.पी.आर.सी.पी.) मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क  
विकास प्राधिकरण, भोपाल